[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खंड3, उप-खण्ड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं. 23/2024-सीमाशुल्क(गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च, 2024

सा.का.नि.__________(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 151ख की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) कीअधिसूचना संख्या 58/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 जुलाई, 2021, जिसे सा.का.नि. संख्या 467(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, –

(i) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

क्रम. सं.	**संविदाकारी राज्यों के नाम**	**सीमाशुल्क मामलों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता (सीएमएए) पर समझौता या व्यवस्था**
(1)	(2)	(3)
“16क	अर्मेनिया गणराज्य	भारत गणराज्य की सरकारऔर अर्मेनिया गणराज्य की सरकारके बीच सीमाशुल्क मामलों में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता पर समझौता”।

[फा.सं.15021/02/2019-आईसीडी(सीबीईसी)]

(मेघा बंसल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 58/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 जुलाई 2021 को सा.का.नि. 467(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खण्ड(i) में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 111/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 20 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपधारा क्रमांक (i), जी.एस.आर. 891(ई) दिनांक 20 दिसम्बर 2022 में प्रकाशित हुआ था।.